


836

न्यायालय में श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०
पुनरीक्षण, 12/16



R 4308 II-16

विवाद का विवरण

धानू राठौर पिता बुल्ला राठौर निवासी ग्राम-अनूपपुर बस्ती, तहसील व जिला-
अनूपपुर म०प्र०आवेदक

बनाम

दिनांक 23/12/16

स्व
23/12/16

1. लल्ली बाई पुत्री-बुल्ला राठौर पत्नी बाबूलाल राठौर निवासी ग्राम सेन्दुरी, तहसील-अनूपपुर, जिला-अनूपपुर म०प्र०
2. केलमतिया बाई पुत्री-बुल्ला राठौर पत्नी जगन राठौर निवासी ग्राम सिवनी, तहसील-जैतहरी, जिला-अनूपपुर म०प्र०
3. निमिया बेवा बाबूलाल राठौर निवासी ग्राम-अनूपपुर बस्ती, तहसील व जिला-अनूपपुर म०प्र०
4. मोहन पिता स्व० बाबूलाल राठौर निवासी ग्राम-अनूपपुर बस्ती, तहसील व जिला-अनूपपुर म०प्र०
5. मिथिला पिता स्व० बाबूलाल राठौर ग्राम-अनूपपुर बस्ती, तहसील व जिला-अनूपपुर म०प्र०अनावेदकगण

को नोटा भागी व
एड को रोजर
जवाबदा
23-12-2016

न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय
अनूपपुर जिला-अनूपपुर म०प्र० द्वारा प्र०कं०-
61/अपील/2015-16 पारित आदेश दिनांक 13.10.
2016 के विरुद्ध म०प्र०भू०रा०सं० 1959 की धारा-50
के आधीन पुनरीक्षण

मान्यवर,

आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता का निम्नानुसार पुनरीक्षण प्रस्तुत है:-

3

दान राठौर

//2//

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4300-दो/2016

जिला अनूपपुर


धानू राठौर

विरुद्ध

लल्ली बाई आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
25-2-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री विनोद भार्गव अभिभाषक एवं अनावेदक अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी जिला अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 61/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 13-10-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला अनूपपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 12-4-2019 को कलेक्टर जिला अनूपपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	

3


(आर0के0 जैन)
सदस्य
25/2/2019